

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/समन्वय/ 2011/  
प्रति,

302

भोपाल, दिनांक: 07/जून /2012

समस्त संभागीय सयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाये मध्यप्रदेश ।  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश ।


विषय:- मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के क्रियान्वयन बाबत ।

:--:

उपरोक्त सदंर्भित पत्र द्वारा लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध मे निम्नलिखित जानकारी तत्काल दिनांक 07.06.2012 तक अधोहस्तक्षरकर्ता के ईमेल **bnchauan@mp.nic.in** पर भेजना सुनिश्चित करे :-

1. स्वास्थ्य विभाग से संबधित 03 योजनाओं (सेवा क्रमांक 12.1 –राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रूपये 1.00 लाख के प्रकरण (जिला स्तरीय) का स्वीकृत किया जाने के सम्बन्ध मे, सेवा क्रमांक 12.2 –विकलांगता प्रमाण-पत्र के प्रकरण एवं , सेवा क्रमांक 12.3– दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का कार्ड जारी करना ) की लोक सेवा केन्द्रों से प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्यवाही ,की निर्धारित प्रारूप में जानकारी । ( संभाग स्तर, जिला स्तर एवम विकास खण्ड स्तर की )
2. पदाभिहित एवं अपीलीय अधिकारियों और उनके सहायक अमले की जानकारी ( संभाग स्तर, जिला स्तर एवम विकास खण्ड स्तर की )
3. पदाभिहित एवं अपीलीय अधिकारियों के कम्प्यूटर/कनेक्टिविटी/नेटवर्क की उपलब्धता की जानकारी । ( संचालनालय पत्र क्रमांक 04/समन्वय/2012/223 दिनांक 18.05.2012 )
4. पदाभिहित एवं अपीलीय अधिकारियों के user \_ i.d / पासवर्ड तैयार करना ,एवं इनका कार्यक्षेत्र की जानकारी जिला लोक सेवा प्रबंधन विभाग एवं संचालनालय को देना ।

MIS  
July 07/2012

  
( डा.बी.एन.चौहान )  
संयुक्त संचालक (समन्वय)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश


2/निरन्तर.....

पृष्ठा. क्रमांक 4/समन्वय/ 2011/302

भोपाल, दिनांक: 07/ जून/2012

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव ,म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र ,संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये भोपाल ।
3. उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधक विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. संचालक, (समन्वय) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
5. समस्त संभागाआयुक्त मध्यप्रदेश ।
6. समस्त जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश ।
7. संयुक्त संचालक, राज्य बीमारी सहायता नीधि, दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना, अस्पताल प्रशासन स्थानीय कार्यालय भोपाल म.प्र ।
8. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय मध्यप्रदेश उपरोक्त निर्देशों के पालन मे कार्यवाही कर, समयसीमा मे जानकारी भिजवाये ।
9. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी (बी.एम.ओ) मध्यप्रदेश ।

  
संयुक्त संचालक (समन्वय)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश